

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/ए-04/2017/ 413

दिनांक:- 11-5-2018


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बांसवाडा ।

विषय:- श्रीमती राधा देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदेश जारी करने बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 363 दिनांक 22.02.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती राधा देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरथुना, ब्लॉक परतापुर, बांसवाडा के दिनांक 01.06.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक: नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर रोक है ।

अतः कार्मिका को दिनांक 01.06.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किया जाना संभव नहीं है, अतः आप अपने स्तर से कार्मिका को सूचित करें ।



(डा० घनश्याम)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/आर-04/2017/

दिनांक:-

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमती राधा देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें ।


(डा० घनश्याम)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर